न्यायालय, राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली

पीठासीन अधिकारी : डॉ0 भास्कर बिश्नोई, आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या : 71/2017 G.C.M.S. No. 2017/00370 दर्ज दिनांक : 13.09.2017

अपीलार्थी:

1. मूला पुत्र केसा (केसिया) जाति जणवा चौधरी, निवासी जुणा, तहसील देसूरी व जिला पाली।

बनाम

प्रत्यर्थिगण:

1. मृत वालीबाई पत्नि भूराराम जाति जणवा चौधरी निवासी डुंगरली तहसील बाली जिला पाली के कायम मुकाम:–
   1/1 फहुडाराम पुत्र स्व. भूराराम आयु वयस्क
   1/2 वजाराम पुत्र स्व. भूराराम आयु वयस्क
   1/3 पूनाराम स्व. भूराराम आयु वयस्क, जातिगण जणवा चौधरी, निवासी बेरा सुथारों वाला डूंगरली, तहसील बाली, पाली।
   1/4 अंशी पुत्री स्व. भूराराम (धर्मपत्नि हीराराम) आयु वयस्क जाति जणवा चौधरी निवासी खुडाला तहसील बाली व जिला पाली।
2. भबुता पुत्र नेमा, जाति जणवा चौधरी, निवासी जुणा, तहसील देसूरी व जिला पाली।
3. गंगा बेवा सका जाति जणवा चौधरी, निवासी जुणा, तहसील देसूरी व जिला पाली।
4. तहसीलदार देसूरी भूमिधारी
5. गोमाराम पुत्र मूलाराम चौधरी, जाति चौधरी, निवासी भादरास, तहसील देसूरी, जिला पाली।
6. भूराराम पुत्र चेला चौधरी, जाति चौधरी, निवासी सादड़ा, तहसील बाली व जिला पाली।
7. मूलचंद पुत्र वक्ता चौधरी, जाति चौधरी, निवासी सेवाड़ी, तहसील बाली।
8. हीरालाल पुत्र राजा चौधरी, जाति चौधरी निवासी बेडल तहसील बाली।

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध सहायक कलक्टर देसूरी द्वारा राजस्व वाद संख्या 112/2013 बअनवान मूला बनाम वालीबाई वगैरह में पारित निर्णय दिनांक 25.05.2017

पैरोकार–

1. श्री सुमेरसिंह राजपुरोहित, विद्वान अभिभाषक अपीलांट।
2. श्री लक्ष्मण के. चौधरी, श्री चेतन आगरी, विद्वान अभिभाषक रेस्पोंडेंट।

निर्णय

दिनांक: 27.02.2026

अपीलान्ट की ओर से जरिये अधिवक्ता यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध सहायक कलक्टर देसूरी द्वारा राजस्व वाद संख्या 112/2013 बअनवान मूला बनाम वालीबाई वगैरह में पारित निर्णय दिनांक 25.05.2017 के विरूद्ध पेश की गई। प्रकरण संक्षेप में निम्नानुसार है–

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

Scanned with OKEN Scanner

यह कि अधीनस्थ न्यायालय में अपीलाण्ट की ओर से धारा 53, 89, 88, 188 राज. टिनेन्सी एक्ट एवं धारा 136 राज. भू-राजस्व अधिनियम के तहत एक राजस्व वाद ग्राम जूणा पटवारी हल्का मोरखा की कृषि भूमि खसरा संख्या 168, 169, 172 से 175, 178, 179, 180, 186 से 190 कुल रकबा 8.18 हैक्टेयर कृषि भूमि बाबत रेस्पोंडेण्ट संख्या एक से चार के विरुद्ध पेश करते हुए निवेदन किया कि उपरोक्त भूमि वादग्रस्त आराजी है, जिसके सेटलमेन्ट के पूर्व के खसरा संख्या 43, 43/1, 43/2, 42/1 कुल रकबा 54 बीघा 8 बिस्वा अपीलाण्ट के पिता केसिया, काका पकला व प्रतिवादी संख्या एक के नाम दर्ज थीं, जो सम्वत् 2034 से 2037 की जमाबंदी में इन्द्राज है। उपरोक्त अपीलाण्ट के सहखातेदारी, हक-हकूक की भूमि के खातेदारी अपीलाण्ट के पिता केसिया, पकिया व भबूता ने सकिया पुत्र कानाजी को उपरोक्त भूमि में से किसी प्रकार का कोई बेचाणनामा, बखशीशनामा, वसीयत इत्यादि का दस्तावेज निष्पादित नहीं किया, फिर भी सम्वत् 2034 से 2037 की खाता संख्या 51 की जमाबंदी में भू-प्रबंध विभाग द्वारा सम्वत् 2041 से 2060 की जमाबंदी जारी करते हुए बिना किसी हक-अधिकारिता के सकिया पुत्र काना के नाम का इन्द्राज अपीलाण्ट व रेस्पोंडेण्ट संख्या दो के पिता के नाम के साथ दर्ज कर दिया, जबकि सकिया पुत्र काना के नाम दर्ज करने बाबत कोई विधिक दस्तावेज नहीं था। सेटलमेन्ट अधिकारी को किसी भी आधार पर बिना पंजीबद्ध दस्तावेज, न्यायालय की डिक्री के अलावा किसी खातेदार का नाम हटाए जाने, अन्य व्यक्ति का नाम दर्ज किए जाने, रकबा कम या अधिक किए जाने की कोई अधिकारिता नहीं हैं। सेटलमेन्ट अधिकारी आपसी सहमति से भी ऐसा आदेश विधिक रूप से नहीं कर सकता है। ऐसा कोई आदेश पारित किया जाता है तो वह विधिक रूप से शून्य आदेश है। सहायक भू-अभिलेख अधिकारी अथवा अभिलेख अधिकारी को आपसी सहमति से विभाजन करने, किसी भी खातेदार के खातेदारी अधिकारों को कम करने, रकबा बढ़ाए जाने की कोई अधिकारिता नहीं हैं और ऐसा कोई भी आदेश विधिक रूप से क्षेत्राधिकारविहीन एवं शून्य कहलाता है, जिसे कोई भी व्यक्ति सक्षम न्यायालय में वाद पेश कर शून्य होने की घोषणा प्राप्त कर सकता है। इस संदर्भ में घोषणा के वाद बाबत किसी प्रकार की कोई रोक नहीं हैं। विधिक प्रावधानों के तहत सेटलमेन्ट कार्यवाही समाप्त होने के बाद में इस प्रकार के क्षेत्राधिकारविहीन एवं शून्य आदेशों को चुनौती वाद द्वारा ही दी जा सकती हैं। चूंकि सेटलमेन्ट पूर्व में ही समाप्त हो चुका है इसलिए वाद पूर्णरूपेण पोषणीय था, लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने बिना विधिक प्रावधानों की जानकारी किए ही अपीलार्थी की अनुपस्थिति में अपीलार्थी का वाद घोषणा के साथ-साथ विभाजन का भी था और विभाजन का वाद बिना किसी आधार के खारिज किए जाने की अधिकारिता अधीनस्थ न्यायालय को नहीं थीं। अधीनस्थ न्यायालय खातेदारी घोषणा को वाद खारिज कर भी देते हैं तो

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

Scanned with OKEN Scanner

भी विभाजन का वाद का वाद कारण शेष रहता है, क्योंकि विभाजन का वाद सहखातेदारान के मध्य होता है और विधिनुसार सहखातेदारान के मध्य ही विभाजन का वाद पेश किया था, इस कारण से विभाजन के वाद को भी खारिज करने में अधीनस्थ न्यायालय ने विधिक रूप से भारी भूल की है। उपरोक्त वाद दर्ज किया जाकर सुनवाई हेतु नियत था। दौराने वाद रेस्पोंडेण्ट संख्या 5 लगायत 8 की ओर से आदेश 1 नियम 10 के तहत आवेदन पेश किया गया था, जिसका जवाब पेश होना था तथा अन्य की तलबी भी बाकी थी, लेकिन उपरोक्त समस्त तथ्य रेकर्ड पर होने के बावजूद भी न्याय आपके द्वार में पत्रावली को कैम्प कोर्ट मोरखा में पेश होना बताकर बिना अपीलाण्ट को नोटिस दिए, विधिक प्रावधानों की पालना किए बिना, अपीलार्थी को साक्ष्य, सबूत, सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना सीधे ही मनमर्जी से तथ्य दर्ज करते हुए, जैर अपील निर्णय पारित कर दिया। जैर अपील निर्णय की जानकारी अपीलार्थी को दिनांक 20.7.17 को जरिए अधिवक्ता होने पर अधिवक्ता द्वारा उसी दिन निर्णय एवं डिक्री की प्रमाणित प्रति हेतु आवेदन पेश किया, जहां से निर्णय की प्रति दिनांक 5.9.17 को प्राप्त हुई, जिस पर उपरोक्त अपील आज पेश की जा रही हैं। इस प्रकार से दिनांक 20.7.17 से 5.9.17 तक कुल 47 दिन विधिनुसार नकल मिलने में समय लगा है, जो कम किए जाने पर अपील स्वतः ही अन्दर अवधि 60 दिन में पेश की जा रही हैं इसलिए अन्दर अवधि है। इसके अलावा भी उपरोक्त वाद में डिक्री पर्चा अब तक मुर्तिब नहीं हुआ है। इस हेतु अपीलार्थी की ओर से एक आवेदन भी अधीनस्थ न्यायालय में पेश कर दिया गया है। जब तक डिक्री पर्चा तैयार होकर हस्ताक्षरित नहीं किया जाता है तब तक स्वतः ही अपील अन्दर म्याद शुमार मानी जाएगी। डिक्री पर्चा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तैयार होकर हस्ताक्षरित होने के बाद प्रमाणित प्रति प्राप्त होने पर अलग से पेश की जाएगी। इस संबंध में ईजाजत का आवेदन अलग से पेश है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर जैर अपील निर्णय व डिक्री अपास्त फरमावें।

म्याद के बिंदु पर निर्णय सुरक्षित रखते हुए अपील अपीलांट दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोंडेंट्स व अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली को तलब किया गया।

हमनें प्रकरण में विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनी व उस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया। प्रकरण का विस्तृत विवेचन व निर्णयन निम्नानुसार है–

1. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलांट द्वारा रेस्पोंडेंट संख्या 1 से 4 के विरूद्ध अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वादग्रस्त आराजी के संबंध में वादपत्र बंटवाड़ा, घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा बाबत प्रस्तुत किया। जिसे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा लोक अदालत कैम्प

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

Scanned with OKEN Scanner

में दिनांक 25.05.2017 को पारित निर्णय द्वारा खारिज कर दिया गया। जिसके विरूद्ध वादीगण अपीलांट द्वारा हस्तगत अपील 07.09.2017 को विलंब के साथ प्रस्तुत की गई।

2. अपीलांट द्वारा विलंबकाल माफ करने के लिए धारा 5 परिसीमा अधिनियम 1963 का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर मुख्य रूप से यह निवेदन किया कि जैर अपील निर्णय की जानकारी अपीलार्थी को दिनांक 20.7.17 को जरिए अधिवक्ता होने पर अधिवक्ता द्वारा उसी दिन निर्णय एवं डिक्री की प्रमाणित प्रति हेतु आवेदन पेश किया, जहां से निर्णय की प्रति दिनांक 5.9.17 को प्राप्त हुई, जिस पर उपरोक्त अपील आज पेश की जा रही हैं। इस प्रकार से दिनांक 20.7.17 से 5.9.17 तक कुल 47 दिन विधिनुसार नकल मिलने में समय लगा है, जो कम किए जाने पर अपील स्वतः ही अन्दर अवधि 60 दिन में पेश की जा रही हैं इसलिए अन्दर अवधि है। इसके अलावा भी उपरोक्त वाद में डिक्री पर्चा अब तक मुर्तिब नहीं हुआ है। इस हेतु अपीलार्थी की ओर से एक आवेदन भी अधीनस्थ न्यायालय में पेश कर दिया गया है। जब तक डिक्री पर्चा तैयार होकर हस्ताक्षरित नहीं किया जाता है तब तक स्वतः ही अपील अन्दर म्याद शुमार मानी जाएगी। डिक्री पर्चा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तैयार होकर हस्ताक्षरित होने के बाद प्रमाणित प्रति प्राप्त होने पर अलग से पेश की जाएगी। इस संबंध में ईजाजत का आवेदन अलग से पेश है। अतः अपील अपीलांट अंदर म्याद शुमार फरमावें।

3. हमारे विनम्र मत में चूंकि प्रकरण में दीर्घ विलंब निहित नहीं हैं तथा प्रकरण में गुणावगुण से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न विद्यमान है। जिसके निर्णयन के लिए उभयपक्षकारान को सुना जाना आवश्यक है। विलंब अपीलांट की लापरवाही व उदासीनता से कारित होना साबित नहीं हैं। अतः विलंबकाल युक्तियुक्त व सद्भाविक होने से माफ किया जाकर प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अपील अपीलांट अंदर म्याद शुमार की जाती हैं।

4. अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि आदेशिका दिनांक 08.08.2016 के अंकन अनुसार प्रकरण में प्रार्थना पत्र आदेश 1 नियम 10 सीपीसी प्रस्तुत किया गया तथा पत्रावली जवाब प्रार्थना पत्र हेतु दिनांक 06.09.2016 को नियत की गई। जिसे आगे दिनांक 24.10.2016 को नियत किया गया। पत्रावली जवाब प्रार्थना पत्र हेतु नियत रही तथा आगामी तारीख पेशी दिनांक 24.11.2016, 18.01.2016 व 02.03.2016 को न्यायालय संचालन नहीं हुआ तथा पत्रावली दिनांक 27.04.2017 को नियत की गई। दिनांक 27.04.2017 को कोई आदेशिका अंकित नहीं की गई तथा आगामी आदेशिका दिनांक 25.05.2017 अंकित की गई जोकि न्याय आपके द्वार लोक अदालत कैम्प मोरखा में पत्रावली नियत करते हुए पक्षकारान को सूचित किए बिना वादी बावजूद सूचना अनुपस्थित का अंकन करते हुए प्रतिवादी संख्या 1, 5, 6 व 7 की उपस्थिति अंकित करते

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

Scanned with OKEN Scanner

हुए पक्षकारान के मध्य बिना राजीनामा हुए तथा पक्षकारान को सूचित किए बिना व पक्षकारान की गैर मौजूदगी में अपीलाधीन निर्णय द्वारा वादपत्र खारिज किया गया।

5. अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन मात्र से स्पष्ट है कि पत्रावली जवाब प्रार्थना पत्र में नियत थी, अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र प्राप्त किए बिना एवं प्रकरण में लंबित आदेश 1 नियम 10 सीपीसी के प्रार्थना पत्र को निर्णित किए बिना, पक्षकारान को सूचित किए बिना पत्रावली दिनांक 25.05.2017 को लोक अदालत में नियत कर पक्षकारान द्वारा कोई राजीनामा/सहमति निष्पादित किए बिना एवं वादी व प्रतिवादी संख्या 2, 3, 4 की अनुपस्थिति के बावजूद अपीलाधीन निर्णय द्वारा वादपत्र खारिज किया गया। स्पष्ट है कि विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा वादपत्रों के निर्णयन के लिए व्यवहार प्रक्रिया संहिता 1908 एवं राजस्थान राजस्व न्यायालय मैन्युअल 1956 में विहित आज्ञापक विधिक प्रक्रियागत प्रावधानों का अनुपालन न करते हुए अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया है। जो त्रुटिपूर्ण व विधिविरूद्ध होने से पुष्टि योग्य नहीं हैं।

6. लोक अदालत में प्रकरणों के निस्तारण के संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा आर.सी.आर. सिविल 2006 (4) पेज 947 में विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 की धारा 20 के अंतर्गत लोक अदालत के द्वारा मुकदमों के निस्तारण की शक्तियों के संबंध में निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया है– " No Order can be passed by Lok Adalat if no compromised or settlement of could at between Parties." इस प्रकार यह सुविस्थापित प्रावधान है कि पक्षकारों के मध्य बिना सहमति हुए एवं बिना राजीनामा हुए किसी भी प्रकरण को न तो लोक अदालत में रखा जा सकता है एवं न ही लोक अदालत में निर्णित किया जा सकता है, ऐसा किया जाना पक्षकारों के मध्य न्यायिक जबरदस्ती की श्रेणी में आता है, जिसका किसी भी दृष्टि में समर्थन नहीं किया जा सकता है।

7. अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर हमारा यह विनम्र अभिमत है कि अपीलाधीन निर्णय पुष्टि/सहमति योग्य नहीं हैं। अपील अपीलांट बखूबी साबित होने से अपील अपीलांट स्वीकार करते हुए अपीलाधीन निर्णय अपास्त किया जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को विधिनुरूप पुनः निर्णयन के निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाना विधिसंगत एवं उचित होगा।

<u>आदेश</u>

अतः निष्कर्षतः अपील अपीलांट अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 भली–भांति साबित होने व सारवान होने से स्वीकार की जाकर न्यायालय सहायक कलक्टर देसूरी द्वारा राजस्व वाद संख्या 112/2013 बअनवान मूला बनाम वालीबाई वगैरह में पारित निर्णय दिनांक 25.05.2017 को अपास्त किया जाकर प्रकरण अधीनस्थ विचारण न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्रकरण

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

Scanned with OKEN Scanner

में वादपत्रों के विचारण व निर्णयन के लिए व्यवहार प्रक्रिया संहिता 1908 एवं राजस्थान राजस्व न्यायालय मैन्युअल 1956 में विहित आज्ञापक विधिक प्रक्रियागत प्रावधानों का अक्षरशः अनुपालन करते हुए उभयपक्षकारान को साक्ष्य व सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर प्रदान करते हुए लंबित प्रार्थना पत्रों का निर्णयन करते हुए वादपत्र विधिनुरूप अंतिम रूप से निर्णित व डिक्री करें। उभयपक्षकारान को जरिये अधिवक्तागण पाबंद किया जाता है कि वे दिनांक 30.03.2026 को न्यायालय सहायक कलक्टर देसूरी में असालतन/वकालतन उपस्थित रहें। निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपि के साथ अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख लौटाया जावें। पत्रावली इसी मुताबिक निर्णित की जाकर बाद तकमील संख्या से एक कम होकर दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक 27.02.2026 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर व न्यायालय मुहर सर–ए–इजलास सुनाया गया।

(डॉ0 भास्कर बिश्नोई)
राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली